30/9/2021

पत्रावली पेश है। वादिनी उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। पक्ष पर प्रथम दृष्टया वाद बिन्दु का निर्धारण किया जाता है। प्रतिवादीगण को अधि. धारा 5 सहपठित धारा 2 के अन्तर्गत निर्धारित मध्यस्थ चार्ज निर्धारित का निर्धारण किया जाकर तत्कालिक अनुपालना से संबंध 20/09/2021 को पारित मध्यस्थ चार्ज निर्धारित की प्रतिलिपि दिया जाता है। तत्कालिक अनुपालना के संबंध में अग्रिम पत्रावली पर निर्णय हेतु नियत की जाकर पक्षकारों को सूचना जारी की जाती है। नियत तिथि 26.10.2021 को पेश हो।

सही/-